

न्यायालय तहसीलदार गडरारोड़, जिला बाड़मेर

जिसका प्रकरण संख्या ६६/२१९. राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल	गैरसायल
राजस्थान सरकार जरिये	श्री. <u>नारायण</u> पुत्र <u>बाबू</u>
पटवारी हल्का <u>राजारा</u>	जाति <u>गुजराती</u> निवासी <u>देताजी</u> तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर।


निर्णय

पत्रावली आज वमुकाम गडरारोड़ में पेश हुई गैरसायल की ~~म्ह~~/अनु. । पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राजारा ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम देताजी के खसरा नम्बर २५२५ रकबा २५६ बीघा में से १.५७ बीघा किस्म डी.गु. गीचर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैरसायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैरसायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त अतिक्रमण भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पुर्णांक का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षर पचास रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैरसायल से वसूल हो।

टी.आर.ए, पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18-07-17 को सरेआम सुनाया गया।

  
तहसीलदार गडरारोड़

जुमाना 50 फसल नि. .....  
कुल योग 50/- जे.के पृष्ठ सं. 26  
वर्ष १०/१२१० में इन्द्राज किया गया।

  
तहसीलदार गडरारोड़